न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय तरवाला)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
40 / 21	23-3-21	13.11.21

1. ओमवती पुत्री दाताराम
2. रेशमदेवी पुत्री दाताराम
3. रामपाल पुत्र दाताराम
4. लक्ष्मण पुत्र दाताराम
5. लक्ष्मी पुत्री दाताराम
6. लच्छो पुत्री दाताराम जाति गुर्जर निवासीयान कांकरा तहसील किशनगढबास

तारचन्द पुत्र हरिसिंह

:– वादीगण:–

बनाम

1. मंगतराम पुत्र मिश्रोदेवी पत्नि रामजीलाल
2. जगदीश पुत्र मिश्रोदेवी पत्नि रामजीलाल
3. लालाराम पुत्र मिश्रोदेवी पत्नि रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी कांकरा तहसील किशनगढबास
4. ओमवती पुत्री रामजीलाल पत्नि रामपत जाति गुर्जर निवासी तहसील कोटकासिम जिला अलवर
5. लीलीदेवी पुत्रीं रामजीलाल हाल पत्नि हंसराजं जाति गुर्जर नि0 डींगली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
6. कृष्णा पुत्री रामजीलाल हाल पत्नि सुरेश जाति गुर्जर निवासी डींगली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
7. संतोंष पुत्री रामजीलाल हाल पत्नि नरेश जाति गुर्जर निवासी जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजं0
8. राज0 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– प्रतिवादीगण:–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

जेर दफा 88,89

निर्णय

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई दावा वादी के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

आराजी ख0न0 264 रकबा 0.1900हे0, 268 रकबा 0.2800हे0 किता 2 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास मे स्थित है जो आरांजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी हम वादीगण व रामदयाल पुत्र भोला की कब्ज़ा काश्त खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण व रामदयाल का नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। रामदयाल जो हम वादीगण का सगा चाचा तथा वादी स0 2 का रिश्ते मे सगा देवर है रामदयाल जो लावल्द बिला औरत फोत हो चुका है जिसके हमज जायज व विधिक वारिसान है हमारे अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नही है। विवादित आराजी ख0न0 264 रकबां 0.1900हे0, 268 रकबा 0.2800हे0 किता 2 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास पर बकाश्त रामजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर नि0 ~~काकरा उपकृषक 13 साल दर्ज है। जो प्रतिवादीगण सं0 1लगा0 7 के पिता है।~~

विवादित आराजी पर हम वादीगण व हमारे पति/पिता दाताराम व बुर्जगान शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण विवादित आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे बकाश्त उपकृषक रामजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी कांकरा के नाम का गलत रू॰ से हो रहा है। जबकि रामजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर नि0 कांकरा तहसील किशनगढबास ने कभी भी विवादित आराजी पर काश्त नही की है ना ही विवादित आराजी से रामजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर नि0 कांकरा का कोई लेना देना सम्बध वो सरोकार है। जिसे हजफ कर हटाया जावे जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आंया है।

हम वादीगण अब अपने चाचा/देवर रामदयाल की विरासत का इंतकाल दर्ज कराने बाबत पटवारी हल्का व तहसीलदार साहब से दिनांक 15.3.21 को सम्पर्क किया तो उन्होने आराजी के राजस्व रिकार्ड में बकाश्त उपकृषक का अकन होने बाबत कहा तथा श्रीमान से बकाशत उपकृषक हटवाने बाबत आदेशित किया, जिस पर अविलम्भ ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

अ–डिक्री इश्तकराहक' वो इन्द्राज दुरूस्ती कि आराजी 'ख0न0 हाल 264 रकबा 0.1900हे0, 268 रकबा 0.2800हे0 किता 2 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास पर बकाश्त रामजीलाल पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर नि0 काकरा उपकृषक 13 साल दर्ज है को हजफ कर हटाया जाबे तथा वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

ब–खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने दावा को स्वीकार करते हुये इकबाल जवाब दावा पेश किया कि वाद वादीगण हित डिक्री फरमाया जावे वादी ने दावे के समर्थन में हाल जमाबंदी पेश की है।

आज पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई वकील वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने वाद डिक्री किया जाने की सहमति दी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात हाल जमाबंदी में प्रतिवादीगण का अमल बकाश्त रमजीलाल पुत्र मंगलसहाय गुर्जर सा0देह उप कृषक 13 दर्ज है एवं प्रतिवादीगण ने पूर्व में ही इकबाल जवाब दावा पेश कर चुके है। प्रतिवादीगण के इकबाल जवाबदावा अनुसार हाल जमाबंदी के ख0न0 हाल 264 रकबा 0.1900 हे0, 268 रकबा 0.2800 हे0 किता 2 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम काकरा तहसील किशनगढ़बास पर बकाश्त रमजीलाल पुत्र मंगलसहाय जाति गुर्जर नि0 काकरा उपकृषक 13 साल दर्ज हो रहा है उसे हटाया किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल जमाबंदी के ख0न0 हाल 264 रकबा 0.1900हे0, 268 रकबा 0.2800हे0 किता 2 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम काकरा तहसील किशनगढ़बास में जो बकाश्त रमजीलाल पुत्र मंगलसहाय जाति गुर्जर नि0 काकरा उपकृषक 13 साल दर्ज हो रहा है उसे कलमजद किया जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास(अलवर)